



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

फोन नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. एम. आर. चौधरी

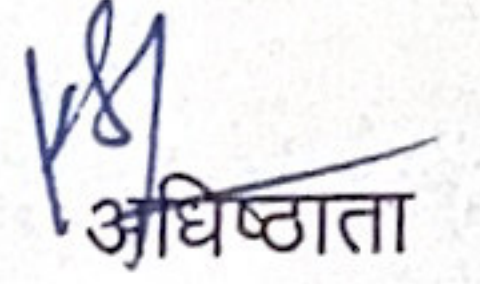
अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

No. F.() / LPM/SKNCOA/2025/1278

Date: 18/09/25

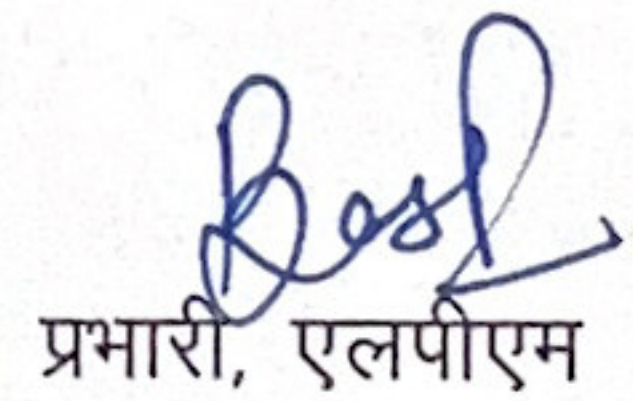
खुली निविदा सूचना

पशुधन उत्पादन प्रबंध विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में खनिज लवण मिश्रण के घटकों एवं पैकिंग सामान हेतु खुली निविदा प्रपत्र www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। प्रपत्र दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 10:30 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से प्राप्त कर दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 11:30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे एवं जो निविदा समिति द्वारा दिनांक 29.09.2025 को सायं 03:30 बजे खोली जायेंगी।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि आप अथवा आपका प्रतिनिधि (नोमिनी) नियुक्त करावे।
2. प्रभारी सिमका, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि खुली निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
3. संयोजक / सदस्यगण, निविदा समिति, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी महोदय, श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका जोबनेर एवं श्री क. न. कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. मैसर्स.....


प्रभारी, एलपीएम

NIB: SKN2526A0215

UBN:SKN2526GSOB00217

निविदा फार्म

1. फर्म/ एजेन्सी का नाम
2. फर्म/एजेन्सी का पूरा पता
3. दूरभाष कार्यालय घर.....
4. फर्म का संगठन (एकल या साझेदारी में).....
5. आयकर (स्थाई खाता संख्या)
6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या
7. बैंक का नाम.....
8. खाता संख्या
IFSC Code No.
9. निविदा की अनुमानित लागत : रु. 08.16 लाख
10. निविदा प्रपत्र लेने की अन्तिम तारीख व समय : 29.09.2025 को प्रातः 10:30 बजे तक
11. निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तारीख व समय : दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 11:30 बजे
12. निविदा खोलने की तारीख एवं समय : 29.09.2025 को सायः 03:30 बजे तक
13. निविदा प्रपत्र की कीमत : रु. 500/- नकद/ DD/BC द्वारा
14. बोली प्रतिभूति राशि रु. 16320/- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नंबर दिनांक
15. कार्यालय- पशुधन उत्पादन प्रबंध विभाग श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

(A) Details of required minerals:

S.No.	Name of Item	Grade	Qty. in Kg	Rate per/Kg	GST%	GST Amount Rs	Rate/Kg with GST
1.	Calcium Carbonate Powder	Animal Feed Grade	3500				
2.	Di Calcium Phosphate	-do-	5000				
3.	Sodium Thio Sulphate	-do-	50				
4.	Zinc Sulphate	-do-	50				
5.	Copper Sulphate	-do-	350				
6.	Manganese Sulphate	-do-	75				
7.	Dried Ferrous Sulphate	-do-	100				
8.	Cobalt Sulphate	-do-	25				
9.	Magnesium Oxide (Natural)	-do-	700				
10.	Potassium Iodide	-do-	5				
Total Amount with GST=							

VK

Bd

Technical Specifications and Rebate Structure

S.N.	Name	Chemical Formula	Active Element	Requirment% Element (Minimum)	First Stage upto	Rebate	Second Stage upto	Rebate
1.	Calcium Carbonate Powder	CaCO ₃	Calcium	21.0%	20.5%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Calcium Carbonate Powder for decrease in Ca by 0.1% unit from 21% to 20.5%	20.0%	Rebate@1% of the gross price of Calcium Carbonate Powder for decrease in Ca by 0.1% unit from 20.5% to 20%
2.	Di Calcium Phosphate		Calcium and Phosphorus	22.0% 16.25%	21.5% 16.0%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Di Calcium Phosphate for decrease in Ca by 0.1% unit from 22% to 21.5% and Rebate @ 0.5% of the gross price of Di Calcium Phosphate for decrease in P by 0.1% unit from 16.25% to 16%	21.0% 15.5%	Rebate@1% of the gross price of Di Calcium Phosphate for decrease in Ca by 0.1% unit from 21.5% to 21% and Rebate@1% of the gross price of Di Calcium Phosphate for decrease in P by 0.1% unit from 16% to 15.5%
3.	Sodium Thisulphate (anhydrous)	Na ₂ S ₂ O ₃	Sulphar	39.0%	37%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Sodium Thioulphate for decrease in S by 0.1% unit from	35%	Rebate@1% of the gross price of Sodium Thioulphate for

						39% to 37%		decrease in S by 0.1% unit from 37% to 35%
4.	Zinc Sulphate(Monohydrate)	$\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Zinc	33.0	30%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Zinc Sulphate for decrease in Zn by 0.1% unit from 33% to 30%	28%	Rebate @ 01% of the gross price of Zinc Sulphate for decrease in Zn by 0.1% unit from 33% to 30%
5.	Copper Sulphate	$\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Copper 24.0%	24.0%	23	Rebate @ 0.5% of the gross price of copper for decrease in copper by 0.1% unit from 24% to 23%	22	Rebate@01% of the gross price of copper for decrease in copper by 0.1% unit from 23% to 22%
6.	Manganese Sulphate (Monohydrate)	$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Manganese	31.0%	29%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Manganese for decrease in S by 0.1% unit from 31% to 29%	27%	Rebate@01% of the gross price of Manganese for decrease in S by 0.1% unit from 29% to 27%
7.	Dried Ferrous sulphate	$\text{FeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ to $4\text{H}_2\text{O}$	Iron	30.0%	28	Rebate @ 0.5% of the gross price of ferrous sulphate for decrease in Fe by 0.1% unit from 30% to 28%	26	Rebate@1% of the gross price of ferrous sulphate for decrease in Fe by 0.1% unit from 28% to 26%
8.	Cobalt Sulphate	$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Cobalt	20.0	19%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Cobalt Sulphate for decrease in Co by 0.1% unit from 20% to 19%	18%	Rebate @ 01% of the gross price of Cobalt Sulphate for decrease in Co by 0.1% unit from 20% to 19%
9.	Natural Magnesium	MgO	Magnesium	50.0	49%	Rebate @ 0.5% of the	48%	Rebate@1% of

	Oxide (Calcined Magnesite)					gross price of Magnesium Oxide for decrease in Mg by 0.1% unit from 50% to 49%		the gross price of Magnesium Oxide for decrease in MG by 0.1% unit from 49% to 48%
10.	Potassium Iodide	KI	Iodine	75.0	74%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Potassium Iodide for decrease in I by 0.1% unit from 75% to 74%	73%	Rebate @ 0.5% of the gross price of Potassium Iodide for decrease in I by 0.1% unit from 75% to 74%

Base

10

Inspections and Tests

1. It is necessary for suppliers to maintain quality of the materials supplied as per the prescribed standards and quality specifications. If the findings of the laboratory analysis in respect of quality are not acceptable to the supplier, the later can lodge a written request within 7 days with the units concerned to get 2nd test of second preserved supplier's sample done from NABL accredited laboratory. The test result of the aforesaid second sample obtained from the Lab shall be final and binding on both the parties i.e. LPM Department SKNCOA, Jobner and the suppliers. Cost of analysis of 2" sample will be borne by the supplier.
2. At the time of delivery of raw materials, three identical samples shall be drawn and sealed jointly in the presence of delivery man/ truck driver and representative of LPM Department SKNCOA, Jobner.

(B) Details of required packaging materials:

S. No.	Name of Item	Qty. in No.	Rate Per Nos.	GST%	GST Amount Rs	Rate Per Nos. with GST
1.	Three layer coated plastic pouch with multi colour printing for mineral mixture (2 Kg filling capacity)	3000				
2.	Three layer coated plastic pouch with multi colour printing for mineral mixture (5 Kg filling capacity)	3000				
Total Amount with GST=						

18/1

निविदादाता के हस्ताक्षर व नाम मय मोहर

Boal

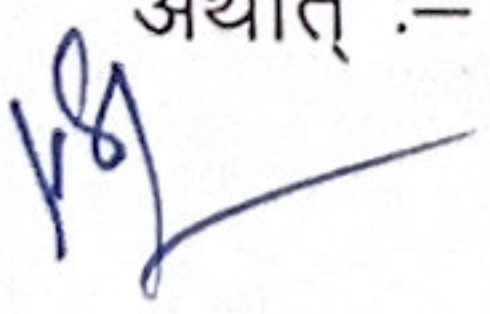
खनिज लवण मिश्रण के घटकों एवं पैकिंग सामान हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्तें :-

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रु. 16320/- तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने पर अलग से निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 500/- का DD/BC अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखे।
2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये प्रति Kg/Nos. दरें रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
3. दोनों लिफाफो नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश/क्रयादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
5. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
6. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की काँट छॉट व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। काँट छॉट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा रद्द की जा सकेगी।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।
8. निर्धारित समय में आपूर्ति नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी।
9. क्रयादेश/कार्यादेश के अनुसार सामान की आपूर्ति करनी होगी।
10. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने में असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
11. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 10.30 बजे तक अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 29.09.2025 को प्रातः 11.30 बजे बजे तक स्वीकार किए जाएंगे एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 29.09.2025 को सायं: 03.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएंगे। अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

1/6

Best

13. दर संविदा समयावधि आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है।
14. सफल निविदादाता को कार्यादेश के 60 दिन में पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में FOR आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.50 से 10.00 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—
- | | |
|---|---------------|
| (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए | 2.50 प्रतिशत |
| (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए | 5.00 प्रतिशत |
| (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए | 7.50 प्रतिशत |
| (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए | 10.00 प्रतिशत |
15. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति, धरोहर राशि (Performance Security, Earnest Money) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
16. निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही महाविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र प्रपत्र 'द' भी संलग्न करना होगा।
17. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी का प्रपत्र 'स' संलग्न है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।
18. निर्धारित प्रपत्र के साथ फर्म का पहचान पत्र, PAN, GST Registration No. आदि की छायाप्रतियाँ अवश्य संलग्न करें।
19. यदि प्रपत्र डाउनलोड करके लिया गया तब रुपये 500 का DD/BC द्वारा अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) अलग से लिफाफा नं. 01 में, प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा।
20. प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करें, इसके अभाव में निविदा अस्वीकार की जावेगी।
21. गत तीन वर्षों के औसत टर्न ओवर रु. 24.00 लाख वाली फर्म इसके लिए पात्र रहेगी।
22. फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर स्वयं के हस्ताक्षर करने होंगे।
23. सफल निविदादाता को रु. 500.00 के स्टाम्प पेपर पर दो माह के लिए अनुबंध कराना अनिवार्य होगा तथा साथ में 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति जमा करानी होगी जिसका खर्चा सफल निविदादाता को वहन करना होगा।
24. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार — बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :—





(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

25. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्तत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

26. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में

1/4
Bod

हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

27. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन

1/8

Boof

सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘व’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

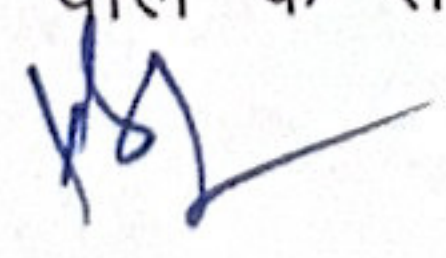
परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन



किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रारूप - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - ' व ') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

181

Boat

- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
28. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।
29. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।


अधिष्ठाता

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
जोबनेर (जयपुर)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेंट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व फर्म की मोहर व पता



निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी सप्लाई का कार्य किया है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

181

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व फर्म की मोहर व पता

181

Fall Clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने सप्लाई का कार्य जहाँ कहीं भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को भूसा सप्लाई आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

18/

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम व फर्म की मोहर व पता

Boef

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2022-2023	
2023-2024	
2024-2025	
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

18/

(प्रमाणित)
हस्ताक्षर एवं मोहर (सनदीलेखाकार)/अंकेशक
मय रजिस्ट्रेशन संख्या

Boof

Form No.1(See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of the appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official Address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

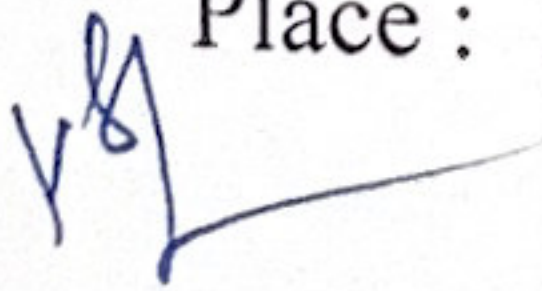
4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal.....(supported by an affidavit)

7. Prayer.....

Place : Date:



Appellant's Signature

